न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

———————————

अपील संख्या :– 193/2004 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. जयनारायण पुत्र मक्खन लाल जाति महाजन (मृतक)

1/1 हनुमान प्रसाद पुत्र जयनारायण महाजन निवासी ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

1/2 गोविन्द राम पुत्र जयनारायण महाजन ग्राम ततारपुर

1/3 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जयनारायण महाजन ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

1/4 रामेती देवी पुत्री जयनारायण (मृतक)

1/4/1 राकेश पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी 34/76 किरण पथ, जयपुर

1/4/2 मुकेश पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी 34/76 किरण पथ, जयपुर

1/5 लक्ष्मी देवी पुत्री जयनारायण महाजन ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

1/6 अनिता देवी पुत्री जयनारायण महाजन ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

2 घीसाराम पुत्र मामराज जाति अहीर (मृतक)

2/1 जयसिंह पुत्र घीसाराम जाति अहीर

2/2 मोहर सिंह पुत्र घीसाराम जाति अहीर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2/3 रामसिंह पुत्र घीसाराम जाति अहीर

2/4 भवानी सिंह पुत्र घीसा राम जाति अहीर निवासी ग्राम तटारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

3 बीरबल पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी ग्राम तटारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

4. बुधराम घीसाराम जाति अहीर निवासी ग्राम तटारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:———— अपीलांट

बनाम

1 रामजीलाल पुत्र अमरा जाति अहीर निवासी ग्राम तटारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 किरोडी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम तटारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:———— रेस्पो0

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक जिलाधीश, किशनगढबास दिनांक 17.7.1985

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अनिल गुप्ता

2. वकील रेस्पो0 :– सुश्री सुषमा शर्मा

निर्णय दिनांक 18.11.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/59/1984 अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 17.7.85, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 2141/2–09, 2152/1–09, 2154/1–11, 2188/2–05 वाके ग्राम ततारपुर के निस्फ भाग का खातेदार श्योनारायण तथा निस्फ भाग का खातेदार ग्यारसा था । वादीगण ने श्योनारायण से उसका निस्फ भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.9.76 को खरीद कर लिया था और कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा ग्यारसा का निस्फ भाग प्रतिवादी किरोडीमल तथा रतीराम ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.6.69 का खरीद कर लिया था । रतीराम ने अपना 1/4 भाग रामजीलाल प्रतिवादी को बेच दिया । इस प्रकार विवादित आराजी के निस्फ भाग के खातेदार प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 हो गये और निस्फ भाग के खातेदार वादीगण हो गये । शामलात में खेती करने में परेशानी हो रही है । अतः विवादित आराजी का तकासमा किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 17.7.1985 द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर वादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी का निस्फ भाग हमारा खरीदशुदा है । हम काबिज काश्तकार हैं । हम हमारी आराजी का विभाजन कराना चाहते हैं, परन्तु तहत अदालत ने गलत तौर पर यह निर्णय पारित कर दिया कि विभाजन से पूर्व वादीगण को अपने आपको खातेदार घोषित कराना चाहिये । जबकि पक्षकारान के अभिवचनों से यह भलीभांति सिद्ध था कि विवादित आराजी का निस्फ भाग का श्योनारायण व निस्फ भाग का ग्यारसा खातेदार थे । हमने श्योनारायण का हिस्सा तथा प्रतिवादीगण ने ग्यारसा का हिस्सा खरीदा था । इंतकाल नम्बर 970 भी दर्ज हुआ है । तहत अदालत को विभाजन की डिक्री पारित करनी चाहिये थी, परन्तु गलत तौर पर वाद खारिज कर दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी का पूर्व में ही बटवारा हो चुका है । पुनः विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है । पूर्व में हुये विभाजन के अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । दौराने विचारण अपील अपीलांट जयनारायण और घीसाराम का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

देहान्त हो गया था । अदालत हाजा के आदेश दिनांक 14.12.2006 द्वारा अपीलांट मृतक घीसाराम के वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया था । इसी प्रकार अदालत हाजा के आदेश दिनांक 1.5.2009 द्वारा अपीलांट मृतक जयनारायण के वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया था । अपीलांट मृत जयनारायण की वारिस अपीलांट नम्बर 1/4 रामेती देवी का भी दौराने विचारण अपील देहान्त हो गया था, जिसके वारिसान को भी अदालत हाजा के आदेश दिनांक 8.6.2012 द्वारा रेकार्ड पर लिया गया था ।

6 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । साथ ही तहत अदालत के अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया । तहत अदालत ने अपने निर्णय में सारर्भित निष्कर्ष यही निकाला है कि वादीगण को पहले अपने आपको खातेदार घोषित कराना चाहिये । इसके बाद बटवारे का दावा लाये । यह सही है कि सह खातेदारों के मध्य में ही विभाजन हो सकता । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलांट्स विवादित भूमि खरीददार काबिज काश्तकार है । रेकार्ड में वे खातेदार के रूप में अभिलिखित नहीं है । परन्तु यहां हमारा यह विनम्र मत है कि तहत अदालत को चाहिये था कि वो वादीगण से एक संशोधित वाद पत्र लेते, जिसमें धारा 53 आर0 टी0 एक्ट के साथ साथ धारा 88 आर0 टी0 एक्ट भी वाद पत्र में जुडवाते । जिससे पीडित वादीगण अपीलांट्स को न्याय मिल सके । लिहाजा संशोधित वाद पत्र लेकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.7.1985 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो वादीगण से संशोधित वाद पत्र लेकर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 3.1.2022 को उपस्थित हो ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर